Crimes against women

2815. SHRI KRISHNA KUMAR BIRiLA; PROF. C. LAKSHMANNA:

SHRI RASHEED MASOOD:

SHRI D. B. CHANDRE GOWDA:

SHRI HARiVENDRA SINGH HANSPAL;

SHR1MATI KANAK MUKHERJEE; DR. R. K. PODDAR:

SHRI MOSTAFA BIN QUASEM:

SHRIMATI ELA RAMESH BHATT:

Will the Minister Of HOME AFFAIRS be please^ to state:

(a) what is the percentage of rise i_n the crimes against $wome_n$ at the end of 1987 a_s compared to the crime incidents during 1986;

(b) which of the $State_s$ i_n the country have $show_n$ a rise in tho statistics of crimes against women (with percentage of rise in each case);

(c) what, according to the review, if any, made by Government are shortcomings/deficiencies in th_e measures taken to bring down the rate of crimes against women and also in the legislative measures taken so far in this regard; and

(d) what $step_s$ are contemplated by Government in this direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM) : (a) and (b) State-wise and Union Territory-wise statements of crime against women reported during the year 1986 and '1987 ar_e enclosed. *[See* Appendix CXLV, Annexure No. 9V]

(c) and (d) The prevention of crime $fall_s$ within th_e purview of State Governments/Union Territory Administrations. However, the Dowry Prohibition Act, 1961 has been amended in 1984 and 1986 i-o make the law regarding offences against women stringent. The Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code, 1973 and the Indian Evidence Act, 1872 have also been amended to deal effectively not only with dowry death cases but also with cases of cruelty to married women. In order >o make good some inadequacies, the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls, Act has been amended and the amended Act is known as Immoral Traffic (Prevention) A=t, 198C.

2816. [Transferred *to* th_e 25th March, 1988].

बैंकों में ग्राहकों द्वारा जमा किए गए चैकों का खातों में चढ़ाया जाना

2817. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कभी इस बात का मूल्यांकन किया है कि जो चैक राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहकों द्वारा जमा कराये जाते हैं वे शत प्रतिशत खातों में चढ़ा दिये जाते हैं क्योंकि यूको बैंक बरौनी (मुंगेर) में जमा किए गए चैकों के बारे में वर्षों बाद पता चला कि वे खातों में ही नहीं चढ़ाये गये थे ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फलेरियो) : बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा कराए गए चैकों की रकम, साधारणतया उगाही प्रभार काटने के बाद उनके खातों में जमा कर देते हैं। बाहरी चैकों की शीघ्र उगाही सुनिश्चित करने के वास्ते बैंकों ने, हाल ही में, कई उपाय किए हैं। जहां कहीं मानवीय/प्रणाली की विफलता के कारण देरी होती है वहां बैंक, बाहरी चैकों की उगाही में 14 दिन की देरी की अवधि के लिए बचत बैंक की दर से ब्याज भी देते हैं। जब कभी चैकों की उगाही में कोई विशिष्ट शिकायत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक

के नोटिस में लाई जाती है, तब उपचारात्मक कार्रवाई के वास्ते उसकी जांच की जाती है ।

यूको बैंक ने सूचित किया है कि संभवतः प्रश्न में उल्लिखित यूको बैंक, बरिधारपुर (मुंगेर) शाखा में जमा कराए गए दो चैक उगाहीकर्ता शाखा द्वारा गलती से बरिधारपुर के स्थान पर बिलासपुर भेज दिए गए थे जिसके कारण ये काफी समय तक मिलान के बगैर पड़े रहे। पता चलने पर बैंक ने चैकों की रकम ग्राहक के खाते में जमा कर दी और देरी की अवधि के वास्ते ब्याज भी दे दिया है ।

पंजाब और आन्ध्र प्रदेश में मारे और गिरफ्तार किए गए आतंकवादी

2818. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान पंजाब तथा आन्ध्र प्रदेश में कितने आतंकवादी मारे या गिरफ्तार किए गये और इस बीच इन्होंने कितने व्यक्तियों को मारा तथा घायल किया ; और

(ख) क्या सरकार ने आतंकवाद के कृत्यों में वृद्धि के कारणों को मालूम करने के लिए कोई अध्ययन किया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1986 तथा 1987 के दौरान 406 आतंकवादी मारे गए तथा 5331 पकड़े गए । इस अवधि के दौरान आतंकवादी गतिविधियों के कारण हुई वारदातों में 1430 व्यक्ति मारे गए तथा 1008 घायल हुए ।

आन्ध्र प्रदेश के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) आतंकवादियों की गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति पर सरकार लगातार ध्यान दे रही है ।

Exemption of State Electricity Boards from income-tax

2819. SHRI BASUDEB MOHAPATRA; Will the Minister of FINANCE be please^ to state;

(a) whether it is a fact that various Siate Governments have suggested to the Central Government for exemption of State Electricity Boards from income-tax payment, being treated as public undertakings; and

(b) if so, what action Government have taken to implement the suggestion?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): (a) Yes, Sir.

(b) The suggestion has been examined and found not acceptable.

Foreign missionaries in strategic area in Orissa

2820. SHRI BASUDEB MOHAPATRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state;

(a) whether Government are aware that certain foreign missionaries and individuals in the guise of tourists are active in Baliapal area of Balasore District of Orissa, the venue of the proposed National Missile Test Range area;

(b) if so, what ste'ps have been taken by Government to put a check on the movement of foreigners in the area;

(d) whether any foreigners were taken into custody from that area recently; and

(d) if so, to which country they belonged and what were the allegations against themr

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF" PERSONNEL.